HARYANA VIDHAN SABHA

REVISED LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON TUESDAY, THE 5TH APRIL, 2022 AT 11.00 A.M.

I. OBITUARY REFERENCES.

A MINISTER to make reference to the deaths of the late:-

1. Martyrs of Haryana.
2. Others.

II. FIRST REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

(i)	THE SPEAKER	to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.
(ii)	A MEMBER OF THE COMMITTEE	to move that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

III. MOTION UNDER RULE 15.

A MINISTER	to move that the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

IV. MOTION UNDER RULE 16.

A MINISTER	to move that the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

V. OFFICIAL RESOLUTION

A MINISTER to move- "The State of Haryana came into existence under the provisions of section 3 of the Punjab Reorganisation Act, 1966. The Act provided for several measures to give effect to the reorganization of Punjab into the States of Punjab and Haryana and the Union Territories of Himachal Pradesh and Chandigarh.

The right of Haryana to share waters of Ravi and Beas rivers by the construction of the Satluj Yamuna Link Canal (SYL) is historically, legally, judicially and constitutionally established over time. This august House has unanimously on at least seven occasions passed resolutions urging the early completion of the SYL canal. Several agreements, accords, Tribunal's findings and judgments of the highest judiciary of the nation have all singularly upheld the claim of Haryana to the waters and directed the completion of the SYL canal. In defiance and contrary to these directions and agreements, legislations were enacted by Punjab to deny the rightful claims of the State of Haryana.

The Indira Gandhi Agreement, the Rajiv Longowal Accord and the Venkatramaiah Commission have accepted the claim of Haryana to Hindi-speaking areas that fall within the territory of the State of Punjab. The transfer of Hindi speaking villages from Punjab to Haryana has also not been completed. This House notes with concern the resolution passed in the Legislative Assembly of Punjab on 1st April, 2022 recommending that the matter for transfer of Chandigarh to Punjab be taken up with the Central Government.This is not acceptable to the people of Haryana. Haryana continues to retain its right to the Capital Territory of Chandigarh.Moreover this House has in the past passed resolutions for a separate High Court in the State of Haryana in Chandigarh in accordance with constitutional provisions.

The recent amendment in the rules of the Bhakra Beas Management Board by the Central Government for appointment of whole-time members goes against the spirit of the Punjab Reorganisation Act, 1966, which treats the river projects as common assets of the successor States of Punjab and Haryana.

The House notes with concern that the share of officers on deputation from the Government to Haryana to the Administration of the Union Territory (U.T) of Chandigarh has been reducing over the years.

Under these circumstances, this House resolves to urge the Central Government not to take any steps that would disturb the existing balance and to maintain harmony till all the issues emanating from the reorganisation of Punjab are settled. This House also urges the Central Government to take measures for the construction of the Satluj Yamuna Link Canal in compliance with the directions of the Hon'ble Supreme Court.The House also urges the Central Government to prevail upon the State of Punjab to withdraw its case and permit the Hansi-Butana canal to be able carry waters to water deficient areas of the State of Haryana and equitable distribution. The House also urges the Central Government to ensure that the proportion earmarked for officers from the Government of Haryana to serve in the administration of the Union Territory of Chandigarh is continued in the same proportion as when the reorganisation of Punjab was envisaged."

CHANDIGARH:
THE 5TH APRIL, 2022.

RAJENDER KUMAR NANDAL,
SECRETARY.

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 5 अप्रैल, 2022 को 11.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की पुनरीक्षित कार्यसूची।

I. शोक प्रस्ताव

एक मंत्री स्वर्गीयः–

1. हरियाणा के शहीद;
2. अन्य।

के देहावसान का उल्लेख करेंगे।

II. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

(i)	अध्यक्ष	विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।
(ii)	समिति के एक सदस्य	प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

III. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

IV. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

V. सरकारी संकल्प

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे– "कि हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा–3 के प्रावधानों के तहत अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम में पंजाब व हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ के केन्द्रीय शासित प्रदेशों द्वारा पंजाब के पुनर्गठन को प्रभावी बनाने के लिए कई उपाय किए गए थे।

सतलुज–यमुना लिंक नहर (एस.वाई.एल.) के निर्माण द्वारा रावी और ब्यास नदियों के पानी में हिस्सा पाने का हरियाणा का अधिकार ऐतिहासिक, कानूनी, न्यायिक और संवैधानिक रूप से बहुत समय से स्थापित है। इस प्रतिष्ठित सदन में एस.वाई.एल. नहर को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह करते हुए सर्वसम्मति से कम से कम सात बार प्रस्ताव पारित किए हैं। कई अनुबंधों, समझौतों, ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों और देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में, सभी ने पानी पर हरियाणा के दावे को बरकरार रखा है और एस.वाई.एल. नहर को पूरा करने का निर्देश दिया है। इन निर्देशों और समझौतों की अवज्ञा करते हुए इनके विरोध में, हरियाणा राज्य के सही दावों को अस्वीकार करने के लिए पंजाब द्वारा कानून बनाए गए।

इंदिरा गांधी समझौता, राजीव लोंगोवाल समझौता और वेंकटरमैया आयोग ने पंजाब राज्य के क्षेत्र में पड़ने वाले हिंदी भाषी क्षेत्रों पर हरियाणा के दावे को स्वीकार किया है। हिंदी भाषी गांवों को पंजाब से हरियाणा को देने का काम भी पूरा नही हो पाया है। यह सदन 1 अप्रैल, 2022 को पंजाब की विधान सभा में पारित प्रस्ताव पर गहन चिंता प्रकट करता है, जिसमें सिफारिश की गई है कि चंडीगढ को पंजाब में स्थानांतरित करने के मामले को केन्द्र सरकार के साथ उठाया जाए। यह हरियाणा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा ने राजधानी क्षेत्र चण्डीगढ़ पर अपना अधिकार लगातार बरकरार रखा है। इसके अलावा, इस सदन ने इससे पहले भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चण्डीगढ़ में हरियाणा राज्य के एक अलग उच्च न्यायालय के लिए प्रस्ताव पारित किया है।

केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में भाखड़ा–ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की भावना के खिलाफ है, जो नदी योजनाओं को, उत्तराधिकारी पंजाब व हरियाणा राज्यों की सांझा संपत्ति मानता है।

सदन इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि पिछले कुछ वर्षों से केन्द्र शासित प्रदेश (यू टी) चण्डीगढ़ के प्रशासन में हरियाणा सरकार से प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की हिस्सेदारी कम हो रही है।

इन परिस्थितियों में, यह सदन केन्द्र सरकार से आग्रह करता है कि वह ऐसा कोई कदम न उठाए, जिससे मौजूदा संतुलन बिगड़ जाए और जब तक पंजाब के पुनर्गठन से उत्पन्न सभी मुद्दों का समाधान न हो जाए, तब तक सद्भाव बना रहे। यह सदन केन्द्र सरकार से यह आग्रह भी करता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सतलुज–यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए उचित उपाय करे। यह सदन केन्द्र सरकार से आग्रह करता है कि वह पंजाब सरकार पर दबाव बनाये कि वह अपना मामला वापस ले और हरियाणा राज्य को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी ले जाने व उसके समान वितरण के लिए हांसी–बुटाना नहर की अनुमति दे। सदन केन्द्र सरकार से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह करता है कि केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के प्रशासन में सेवा करने के लिए हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए निर्धारित अनुपात को उसी अनुपात में जारी रखा जाए, जब पंजाब के पुनर्गठन की परिकल्पना की गई थी।"

चण्डीगढ़
5 अप्रैल, 2022

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।